[2022] 15 एस. सी. आर 760

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

ए.

मणिपुर राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

ब्युमयम अब्दुल हनान @आनंद और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1819)

बी.

19 अक्टूबर, 2022

[अजय रस्तोगी और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-अनुच्छेद 22 (5)-प्रतिनिधित्व करने का अधिकार-निवारक निरोध-निरोध प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की गैर-आपूर्ति-प्रभावी प्रतिनिधित्व से इनकार-प्रत्यर्थी सं।1 1988 के अधिनियम के तहत निवारक निरोध के अधीन था-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर पारित निरोध के आदेश को रद्द कर दिया कि अपीलार्थीगण निरोध का आदेश पारित करते समय दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति करने में विफल रहे-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःअनुच्छेद 22 (5)-निरोध प्राधिकरण द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अवैध प्रति की आपूर्ति ने प्रत्यर्थी को एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से वंचित कर दिया है और इससे इनकार करने से निरोध का आदेश अवैध होगा-इसके अलावा, हालांकि प्रत्यर्थी निरोध प्राधिकरण के समक्ष यह सवाल करने में विफल रहा कि उसे अवैध या धुंधली प्रतियां प्रदान की गई थीं, लेकिन प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होने के कारण, निरोध प्राधिकरण द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने का हमेशा हकदार होता है-निरोध के आधार पर दी गई जानकारी उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है-निवारक निरोध के आदेश को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई त्रुटि नहीं-अवैध यातायात की रोकथाम।भारत का संविधान-अनुच्छेद 22 (5)-के तहत प्रदत्त अधिकार-चर्चा की गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 22 (5)-आयोजितःहिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए गए दस्तावेजों की आपूर्ति करने से इनकार करना या हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अवैध या धुंधली प्रतियों की आपूर्ति करना अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन है-हालाँकि, क्या प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

जी.

एच.

760 ए.

761

मणिपुर राज्य और ओआरएस. v.ब्युमयम अब्दुल हनान @आनंद और ए. एन. आर.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1** संविधान का अनुच्छेद **22 (5)** बंदी को दो अधिकार प्रदान करता है**,** पहला**,** उन आधारों के बारे में सूचित होने का अधिकार जिसके आधार पर निरोध का आदेश दिया गया है और दूसरा**,** निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर दिया जाना।प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का तात्पर्य है कि बंदी के पास ऐसी सभी जानकारी होनी चाहिए जो उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाए।निस्संदेह**,** यह अधिकार फिर से खंड **(6)** द्वारा दिए गए अधिकार या विशेषाधिकार के अधीन है।साथ ही**,** हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए गए दस्तावेजों की आपूर्ति करने से इनकार करना या हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अवैध या धुंधली प्रतियों की आपूर्ति करना संविधान के अनुच्छेद **22 (5)** का उल्लंघन है। हालाँकि यह सच है कि प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई अवसर दिया गया है या नहीं**,** यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।**[**पारस **16,17] [767-**एफ**-**एच**; 768-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 प्रतिनिधित्व करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद **22 (5)** के तहत निरोध का एक मौलिक अधिकार है और दस्तावेजों की अवैध प्रति की आपूर्ति**,** जिस पर निरोध प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया है**,** वास्तव में उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से

वंचित कर दिया है और उससे इनकार करने से निरोध का आदेश अवैध होगा और कानून के तहत विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं होगा।यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि प्रत्यर्थी नं।**1** यदि बंदी प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न करने में विफल रहा है कि उसे अवैध या धुंधली प्रतियां प्रदान की गई थीं**,** जिन पर निरोध का आदेश पारित करते समय भरोसा किया गया था**,** लेकिन प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान के अनुच्छेद **22 (5)** के तहत प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है**,** तो बंदी हमेशा उन दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने का हकदार है जिन पर बंदी प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था और निरोध के आधार पर दी गई ऐसी जानकारी उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है।**[**पारस **21,22] [770-**एफ-एच**; 771-**ए-बी**]**

ई.

एफ.

जी.

1.3 यह विशेष रूप से प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी रिट याचिका में उठाया गया था और संदर्भ निर्दिष्ट याचिका के पैरा **9** में किया गया है और अभिलेख पर अभिवचनों में**,** उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा दायर काउंटर में कोई इनकार नहीं था।

एच.

ए.

कि जिन दस्तावेजों की आपूर्ति की गई थी और जिन पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था**,** वे सुपाठ्य थे और जिन्होंने प्रत्यर्थी नहीं से इनकार नहीं किया है।**1** निरोध के आदेश पर सवाल उठाते हुए प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में और एक बार जब यह तथ्य संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड से अनियंत्रित हो जाता है और कानूनी सिद्धांतों का निपटारा किया जा रहा है**,** तो प्रस्तुतियों में कोई सार नहीं है कि केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी नहीं।**1** इस प्रश्न को निरोध प्राधिकारी के समक्ष उठाने में विफल रहा है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत उसके लिए उपलब्ध उपचार का लाभ उठाते हुए निरोध के आदेश को लागू करने में अपीलार्थी/निरोध में निहित अधिकार को छीनने के लिए मामले के मूल में जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार**,** जो संभवतः सबसे अधिक पोषित है**,** किसी भी तरह से**,** कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अस्थायी रूप से भी उससे मनमाने ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए और एक बार जब बंदी संविधान के अनुच्छेद **226** के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष निरोध के आदेश को लागू करते हुए संतुष्ट करने में सक्षम हो जाता है**,** जिसमें कहा गया है कि निरोध के आधार एक मूलभूत प्रभाव के रूप में सबूत की कठोरता को संतुष्ट नहीं करते हैं**,** जिसने

उसे संविधान के अनुच्छेद **22 (5)** के तहत प्रदान किए गए संरक्षण को देखते हुए निरोध के आदेश को लागू करने में प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाया है**,** वही निरोध के आदेश को अवैध बनाता है और विवादित फैसले के तहत निवारक निरोध के आदेश को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की जाती है।**[**पारस **23,24] [771-**सी**-**एच**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

भूपिंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **(1987) 2** एस**.** सी**.** सी**. 234;** रामचंद्र ए**.** कामत बनाम भारत संघ और

एफ.

अन्य (1980) 2 एस. सी. सी. 270:[1980] 2 एस. सी. आर. 1072; भारत संघ बनाम रानू भंडारी (2008) 17 एस. सी. सी. 328:[2008] 13 एस. सी. आर. 582-पर निर्भर।

श्रीमती. धर्मिस्ता भगत बनाम कर्नाटक राज्य और

एक और (1989) 2 एस. सी. सी. 155:1990 (1) जेटी 192;

जी.

मंजीत सिंह ग्रेवाल @गोगी बनाम भारत संघ और अन्य।

(1990) सप.एस. सी. सी. 59; मेहरुन्निसा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 709-संदर्भित।

एच.

763

मणिपुर राज्य और ओआरएस. v.ब्युमयम अब्दुल हनान @आनंद और ए. एन. आर.

ए.

मामला कानून संदर्भ

[1980] 2 एससीआर **1072**

उस पर भरोसा करें

पैरा **18**

[2008] 13 एससीआर **582**

उस पर भरोसा करें

पैरा **20**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1819।

बी.

इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.10.2021 के निर्णय और आदेश से (सीआरएल।) 2021 का सं. 20।

के साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 1820।

सी.

पुखरंबम रमेश कुमार, करुण शर्मा, सुश्री अनुपम नगंगोम, वाहेंगबाम इमैनुएल मेइतेई, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।के. के. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री प्रेरणा सिंह (ए. सी.), शैलेश मडियाल, संजय नुली, विनायक शर्मा, नकुल चेंगप्पा के. के., मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता।, प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी**,** जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

ई.

2. तत्काल अपीलें 28 अक्टूबर, 2021 और 16 सितंबर, 2021 के मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (इसके बाद "अधिनियम 1988" के रूप में संदर्भित) के तहत पारित निरोध के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि अपीलकर्ता उन दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने में विफल रहे, जिन पर अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत निरोध का आदेश पारित करते समय अपीलार्थीगण द्वारा भरोसा किया गया था।

एफ.

3. प्रत्यर्थी नं. 1, दोनों अपीलों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 28 अक्टूबर, 2021 के आदेश के अनुसार जारी किया गया था और एक वर्ष की निरोध अवधि भी समाप्त हो गई थी।

जी.

4. इस न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल, 2022 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी नं. 1 नोटिस की सेवा के बावजूद।5. सुनवाई की अंतिम तिथि, यानी 1 सितंबर 2022 को, इस न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रेरणा सिंह से न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया।

एच.

ए.

प्रत्यर्थी की ओर से क्यूरी नं।1 दोनों अपीलों में जिन्हें उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया और न्यायालय की सहायता की।

6. हमने प्रत्यर्थी नं. 1 की ओर से अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता , सुश्री प्रेरणा सिंह, न्यायमित्र को सुना है। 1 दोनों अपीलों में और साथ ही प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता नं। 2 और उनकी सहायता से अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया।

बी.

7. मूल रूप से प्रत्यर्थी की ओर से दायर रिट याचिका में चुनौती नं।1 17 मई, 2021 को निरोध का आदेश और 22 मई, 2021 को विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार द्वारा पारित निरोध का आधार था, जिसके तहत प्रत्यर्थी नं.1 अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत निवारक हिरासत के अधीन था।

सी.

8. मुख्य जोर जिस पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें निरोध के आदेश का उल्लेख किया गया था कि प्रत्यर्थी नं।1 निरोध का आदेश पारित करते समय निरोध प्राधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनकी सुपाठ्य प्रतियां प्रदान नहीं की गई थीं और इसने प्रत्यर्थी नं.1 एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में।प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और हिरासत का आदेश पारित करने में अधिकारियों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति न करना संविधान के अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन है और निर्णयों पर भरोसा करना है।

डी.

ई.

इस न्यायालय की श्रीमती**.** धर्मिस्ता भगत बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य **1,** मंजीत सिंह ग्रेवाल **@**गोगी बनाम भारत संघ और अन्य। **2,** मेहरुन्निसा बनाम महाराष्ट्र राज्य **3** और भूपिंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **4.**

9. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस न्यायालय के उपरोक्त फैसलों पर भरोसा किया और मणिपुर सरकार के विशेष सचिव (गृह) द्वारा पारित 17 मई, 2021 के निरोध के आदेश को रद्द कर दिया।

एफ.

10. प्रत्यर्थी नं.1 अपनी रिट याचिका में, पैरा 9 और विशेष रूप से आधार (ई) में कहा गया है कि जिन दस्तावेजों ने पृष्ठ 31,33,35,37,38 पर निरोध के आधार का आधार बनाया है, वे अवैध हैं और सभी धुंधले हैं और पठनीय नहीं हैं और इस तरह प्रत्यर्थी नं।1 प्रभावी नहीं हो सका

जी.

1 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 155 2 1990 (पूरक) एससीसी 59 3 (1981) 2 एससीसी 709 4 (1987) 2 एससीसी 234 ए

एच.

765

मणिपुर राज्य और ओआरएस. v.ब्युमयम अब्दुल हनान @आनंद और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

निरोध प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन और याचिका के साथ 22 मई, 2021 को निरोध के आधार संलग्न किए गए।रिट याचिका के पैरा 9 और आधार (ई) नीचे दिए गए हैं:

“9. कि, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि वे दस्तावेज जो पृष्ठ संख्या में निरोध के आधार का आधार हैं।31, 33, 35, 37, 38 इसके साथ संलग्न सभी अस्पष्ट हैं और पढ़ने योग्य नहीं हैं और इस तरह से बंदी हिरासत प्राधिकरण के समक्ष एक प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सका, इसलिए, विवादित आदेश और बाद के आदेशों को दरकिनार किया जा सकता है।रिट याचिका के साथ नजरबंदी के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रस्तुत किए गए अस्पष्ट और अपठनीय मूल दस्तावेज दायर किए गए हैं।उन दस्तावेजों की एक वास्तविक प्रति जो दिनांकित 22.05.2021 निरोध के आधार पर संलग्न नहीं हैं, इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक-ए/3 के रूप में चिह्नित है।”

बी.

सी.

“ङ. क्योंकि, वे दस्तावेज जो निरोध के आधार का आधार हैं और इसके साथ संलग्न हैं, पढ़ने योग्य नहीं हैं और एक प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और इस तरह निरोध आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।”

डी.

11. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, एकमात्र औचित्य यह था कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रत्यर्थी नं.1 और उन्होंने उन दस्तावेजों के अपने प्रतिनिधित्व में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया जिन पर निरोध प्राधिकारी ने भरोसा किया था, जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी भी स्तर पर धुंधले या अवैध थे, जब तक कि निरोध का अंतिम आदेश निरोध प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाता।प्रासंगिक पैरा सं।10 जवाबी हलफनामे को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

ई.

एफ.

“10. कि, रिट याचिका के पैरा Nos.9 और 15 (ई) के संदर्भ में, प्रतिवादी यह प्रस्तुत करने की गुहार लगाता है कि सभी सुपाठ्य दस्तावेज जो निरोध के आधार का आधार हैं, बंदी को प्रस्तुत किए गए थे।इसके अलावा, हिरासत में लिया गया व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करते समय अन्य मामलों की तरह हिरासत प्राधिकरण से कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज मांग सकता था।हालाँकि, याचिकाकर्ता ने हिरासत प्राधिकरण को प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में ऐसे किसी भी अनुरोध का उल्लेख नहीं किया।मूल पावती रसीद यहाँ संलग्न है और ए के रूप में चिह्नित है।

जी.

एच.

12. इसी तरह, लिखित याचिका (सीआरएल) में। उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 का No.15, इसी तरह के कथन किए गए थे।पैरा 9 और ग्राउंड (ई) के उद्धरण यहाँ पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"9. कि, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि वे दस्तावेज जो पृष्ठ संख्या में निरोध के आधार का आधार बनते हैं।79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95 इसके साथ संलग्न सभी अस्पष्ट और पठनीय नहीं हैं और फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को निरोध के आधार के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए (निरोध के आधार पर संलग्न दस्तावेजों के अधिकांश पृष्ठ पीछे छोड़ दिए गए)।याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेजों को दाखिल किया है, जो प्रत्यर्थी नं।1 और इस प्रकार बंदी बंदी प्राधिकारी के समक्ष एक प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सका, इसलिए, विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

बी.

सी.

उन दस्तावेजों की एक वास्तविक प्रति जो दिनांकित 22.05.2021 निरोध के आधार पर संलग्न नहीं हैं, इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक-ए/3 के रूप में चिह्नित है।"

डी.

"ङ. क्योंकि, वे दस्तावेज जो निरोध के आधार का आधार हैं और इसके साथ संलग्न हैं, पढ़ने योग्य नहीं हैं और एक प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और इस तरह निरोध आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।"13. उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त रिट याचिका के लिए अपीलार्थीगण द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, पैरा 9 में, अपीलार्थीगण ने निम्नानुसार जवाब दिया:

ई.

"9. कि आपराधिक याचिका के पैरा संख्या 9 के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिरासत के आधारों को पूरा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए गए थे।इसके अलावा, अन्य मामलों में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करते समय बंदी।हालाँकि, याचिकाकर्ता ने हिरासत प्राधिकरण को प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में ऐसे किसी भी अनुरोध का उल्लेख नहीं किया।अनुलग्नक आर/4 निरोध के आधार की वास्तविक प्रति है।"14. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रस्ताव पर विवाद नहीं किया है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है जो ए का मौलिक अधिकार है।

एफ.

जी.

एच.

767

मणिपुर राज्य और ओआरएस. v.ब्युमयम अब्दुल हनान @आनंद और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत गारंटीकृत निरोध।अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रस्तुति यह है कि प्रत्यर्थी नं।1, किसी भी स्तर पर, इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई कि निरोध के आधार पर निरोध प्राधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे अवैध या धुंधले थे, जिसने उन्हें किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित कर दिया है और पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष आपत्ति उठाई गई थी, न कि किसी भी स्तर पर निरोध प्राधिकारी के समक्ष।दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि हिरासत के आदेश को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।15. प्रत्यर्थी नं. की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान न्यायमित्र। 1 ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि एक बार यह तय हो जाने के बाद कि निरोध प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत अपने मौलिक अधिकार का एक हिस्सा होने के लिए एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और एक बार यह विशिष्ट आरोप प्रतिवादी नं। 1 तथ्यों और विवरणों के साथ रिट याचिका में और उन पृष्ठों को भी, जो उनके अनुसार, अवैध और धुंधले थे और जिन्होंने प्रतिवादी नं.1 एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में, इसका खंडन वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन था और एक बार मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाने के बाद, भले ही इसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया हो, यह प्रत्यर्थी को कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को नहीं छीन लेगा।1 कानून के तहत उसके लिए अनुमेय रूप से निरोध के आदेश को लागू करने में और एक बार जब यह तथ्य अनियंत्रित हो जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा निरोध के आदेश को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. संविधान का अनुच्छेद 22 (5) बंदी को दो अधिकार प्रदान करता है, पहला, उन आधारों के बारे में सूचित होने का अधिकार जिसके आधार पर निरोध का आदेश दिया गया है और दूसरा, निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर दिया जाना।17. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का तात्पर्य है कि बंदी के पास वह सभी जानकारी होनी चाहिए जो उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाएगी।निस्संदेह, यह अधिकार फिर से खंड (6) द्वारा दिए गए अधिकार या विशेषाधिकार के अधीन है।साथ ही, हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए गए दस्तावेजों की आपूर्ति करने से इनकार करना या हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अवैध या धुंधली प्रतियों की आपूर्ति करना संविधान के अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन है।हालांकि यह सच है कि क्या एक प्रभावी बनाने का अवसर दिया गया है

एफ.

जी.

एच.

प्रतिनिधित्व हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

18. जब बंदी को प्रभावी प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाता है या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसेमंद दस्तावेजों की आपूर्ति से इनकार किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर इस न्यायालय द्वारा रामचंद्र में विचार किया गया है।

बी.

ए**.** कामत बनाम भारत संघ और अन्य **5** निम्नानुसारः

“6. प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।इस प्रकार किए गए अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए।एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए, बंदी को हिरासत के आधार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।जब बंदी को हिरासत के आधार दिए जाते हैं, तो वह हिरासत के आधार पर निर्दिष्ट बयानों और दस्तावेजों की प्रतियां मांगने का हकदार होता है ताकि वह एक प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके। जब बंदी ऐसे दस्तावेजों के लिए अनुरोध करता है, तो उन्हें शीघ्रता से उसे प्रदान किया जाना चाहिए।आधार तैयार करने में निरोधक प्राधिकारी ने निरोध के आधार पर भरोसा किए गए बयानों और दस्तावेजों का उल्लेख किया होगा और सामान्य रूप से उसके पास उपलब्ध

होगा-जब ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां निरोधक द्वारा मांगी जाती हैं तो निरोधक प्राधिकारी को उन्हें उचित अभियान की आपूर्ति करने की स्थिति में होना चाहिए।उचित अभियान क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।"

सी.

डी.

ई.

19. हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनकी सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति न होने का क्या प्रभाव होगा, इस पर विचार किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा भूपिंदर सिंह (ऊपर) मामले में निम्नानुसारः

"1. 3-10-1985 पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने हाउस नं. बी. 20, गुजरांवाला टाउन, भाग II, दिल्ली और कुछ मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद की।ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता तुरंत उपलब्ध नहीं था।उसे बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई।उन्होंने एक बयान दिया जिसे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने दर्ज किया।19-3-1986 पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के अतिरिक्त सचिव श्री एम. एल. वधावन ने याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का आदेश दिया था।याचिकाकर्ता को 16-4-1986 पर गिरफ्तार किया गया था और उसे हिरासत के आदेश की एक प्रति दी गई थी।उन्हें चार दिनों के लिए हिरासत में रखने का आधार दिया गया था।

एफ.

जी.

एच.

5 (1980) 2 एससीसी 270 ए

769

मणिपुर राज्य और ओआरएस. v.ब्युमयम अब्दुल हनान @आनंद और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

बाद में।12-5-1986 पर उन्हें सलाहकार मंडल के सामने पेश किया गया।उन्होंने सलाहकार बोर्ड के समक्ष शिकायत की कि हिरासत के आधार के साथ उन्हें प्रदान किए गए दस्तावेजों की प्रतियां सुपाठ्य नहीं थीं और उन्होंने सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक अभ्यावेदन की एक प्रति भी रखी जो उनके द्वारा दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति के लिए की गई थी। एक विवाद है कि क्या यह प्रतिनिधित्व 8-5-1986 या 12-5-1986 पर किया गया था। हमारे सामने प्रस्तुत मूल फाइलों से हम पाते हैं कि प्रतिनिधित्व 8-5-1986 पर टाइप किया

गया था, लेकिन वास्तव में 12-5-1986 पर डिटेनू द्वारा हस्ताक्षरित था।लेकिन इससे इस मामले के उद्देश्यों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।19-5-1986 पर भारत सरकार के अवर सचिव ने दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मांग को स्वीकार कर लिया और प्रवर्तन निदेशालय को याचिकाकर्ता को दस्तावेजों का एक डुप्लिकेट सेट प्रदान करने का निर्देश दिया।इस पत्र की एक प्रति बंदी को भी भेजी गई थी और उसने 21-5-1986 पर स्वीकार किया था।उस तारीख के संबंध में एक विवाद है जिस दिन दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां वास्तव में बंदी को दी गई थीं।हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अनुसार उन्हें 1-7-1986 पर भेजा गया था, जबकि वित्त मंत्रालय में अवर सचिव श्री एस. के. चौधरी के जवाबी-हलफनामे के अनुसार, दस्तावेज़ 21-6-1986 पर दिए गए थे।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दस्तावेज़ों की आपूर्ति 21-6-1986 पर या 1-7-1986 पर की गई थी क्योंकि हम पाते हैं कि दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति से पहले ही नज़रबंदी आदेश की पुष्टि 14-6-1986 पर की गई थी।इस प्रकार बंदी को स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 22 द्वारा गारंटीकृत अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन था।बंदी को रिहा किए जाने का अधिकार है।हमें बताया गया है कि बंदी अब पैरोल पर है।उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

और बाद में मंजीत सिंह ग्रेवाल (ऊपर) में निम्नानुसारः

“3. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने उन दस्तावेजों की कुछ प्रतियां मांगी थीं जो प्रत्यर्थी-भारत संघ के पास थीं।दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गईं, लेकिन वे सुपाठ्य नहीं थीं।यह स्थिति भी स्पष्ट है।इस मामले के तथ्यों में इस सवाल में जाना आवश्यक नहीं है कि क्या ये दस्तावेज प्रासंगिक थे या सामग्री।”

जी.

एच.

20. विद्वान अधिवक्ता ने भारत संघ बनाम रानू भंडारी 6 में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें इसे पैरा 27 और 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

“27. यह भी सुसंगत विचार रहा है कि जब कोई निरोध आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसा आदेश देने में निरोध प्राधिकारी द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया जाता है, उसे बंदी को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अनुपालन में निरोध आदेश के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके, भले ही उसे इसकी जानकारी हो या नहीं।इन्हें इस न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम सुरक्षा उपायों के रूप में मान्यता दी गई है कि निवारक निरोध कानून, जो एक बुरी आवश्यकता है, संबंधित अधिकारियों के हाथों में उत्पीड़न का साधन नहीं बनते हैं या आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए जो एक उचित अनुसंधान की आवश्यकता होगी।

बी.

सी.

28-30. XXX XXX XXX

31. बेशक, राधाकृष्णन प्रभाकरण मामले में [(2000) 9

डी.

एस. सी. सी. 170] यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस बात की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि आदेश में उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज़ की एक प्रति बंदी को प्रदान की जानी चाहिए।इसलिए, जो अनिवार्य है वह यह है कि ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर हिरासत प्राधिकरण द्वारा इस संतुष्टि तक पहुंचने के लिए भरोसा किया गया था कि राज्य और उसके नागरिकों के हित में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की निवारक हिरासत आवश्यक है, उसे प्रदान की जानी चाहिए।इसके अलावा, यदि इस मामले में, बंदी का प्रतिनिधित्व और रिट याचिका को निरोध प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था, जिसमें बंदी के अनुसार उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए उसका पूरा बचाव शामिल था, तो हो सकता है कि उसी ने निरोध प्राधिकरण के साथ विचार किया हो कि निरोध का आदेश जारी करने की आवश्यकता है।”

ई.

एफ.

21. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति का निपटारा किया गया है कि प्रतिनिधित्व करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत निरोध का एक मौलिक अधिकार है और दस्तावेजों की अवैध प्रति की आपूर्ति, जिस पर निरोध प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया है, वास्तव में उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से वंचित कर दिया

है और उससे इनकार करने से निरोध का आदेश अवैध होगा और कानून के तहत विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं होगा।

जी.

6 (2008) 17 एस. सी. सी. 328 ए

एच.

771

मणिपुर राज्य और ओआरएस. v.ब्युमयम अब्दुल हनान @आनंद और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

22. यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि प्रत्यर्थी नं।1 यदि बंदी प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न करने में विफल रहा है कि उसे अवैध या धुंधली प्रतियां प्रदान की गई थीं, जिन पर निरोध का आदेश पारित करते समय भरोसा किया गया था, लेकिन प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो बंदी हमेशा उन दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने का हकदार है जिन पर बंदी प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था और निरोध के आधार पर दी गई ऐसी जानकारी उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है।

बी.

23. जिन सिद्धांतों का अब इस न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया है, उन पर आगे बढ़ते हुए, यह विशेष रूप से प्रत्यर्थीगणओं द्वारा अपनी रिट याचिका में उठाया गया था और संदर्भ (ऊपर) संदर्भित याचिका के पैरा 9 में किया गया है और अभिलेख पर अभिवचनों में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा दायर काउंटर में कोई इनकार नहीं था कि जिन दस्तावेजों की आपूर्ति की गई थी और जिन पर हिरासत प्राधिकरण द्वारा भरोसा किया गया था, वे सुपाठ्य थे और जिन्होंने प्रत्यर्थी नं.1 निरोध के आदेश पर सवाल उठाते समय प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में और एक बार जब यह तथ्य संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए अभिलेखों से अनियंत्रित हो जाता है और कानूनी सिद्धांतों का निपटारा किया जा रहा है, तो हम अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों में कोई सार नहीं पाते हैं कि केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी नहीं।1 इस प्रश्न को निरोध प्राधिकारी के समक्ष उठाने में विफल रहा है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसके लिए उपलब्ध उपचार का लाभ उठाते हुए निरोध के आदेश को लागू करने में अपीलार्थी/निरोध में निहित अधिकार को छीनने के लिए मामले के मूल में जाता है।

सी.

डी.

ई.

24. दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो संभवतः सबसे अधिक पोषित है, किसी भी तरह से, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अस्थायी रूप से भी उससे छीन नहीं लिया जाना चाहिए और एक बार जब बंदी संविधान के अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष निरोध के आदेश को लागू करते हुए संतुष्ट करने में सक्षम हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि निरोध के आधार एक मूलभूत प्रभाव के रूप में सबूत की कठोरता को संतुष्ट नहीं करते हैं, जिसने उसे संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रदान किए गए संरक्षण को देखते हुए निरोध के आदेश को लागू करने में प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाया है, वही निरोध के आदेश को अवैध बनाता है और हम उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के तहत निवारक निरोध के आदेश को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

एफ.

जी.

एच.

25. नतीजतन, अपील विफल हो जाती हैं और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती हैं।26. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.